

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएँ

1. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
1. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
1. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु अंबेडकर पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
1. विमुक्त , घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
1. विशेष समूह योजना (पूर्व में SBC) छात्र छात्राओं हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लिंक

https://www.sje.rajasthan.gov.in/Scholarship_Portal.aspx

श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लिंक

<https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx>

AICTE प्रगति छात्रवृत्ति योजना

AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) में नव प्रवेशित (सीधे प्रथम/ पार्श्व प्रवेश) छात्राओं हेतु योजना लागू की गयी है।

राजस्थान राज्य हेतु उपलब्ध सीट्स

डिप्लोमा = 170 {सामान्य 86 अन्य पिछड़ा वर्ग 46 अनुसूचित जाति 26 अनुसूचित जनजाति 12}

डिग्री = 152 {सामान्य 77 अन्य पिछड़ा वर्ग 41 अनुसूचित जाति 23 अनुसूचित जनजाति 11}

एक परिवार से अधिकतम दो छात्राओं को यह स्कॉलरशिप मिल सकती है।

परिवार की सकल आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

चयन होने पर स्कॉलरशिप के 50000/- रूपए नियमित अध्ययन के प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं।

AICTE सक्षम छात्रवृत्ति योजना

AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) में नव प्रवेशित (सीधे प्रथम/ पार्श्व प्रवेश) दिव्यांग छात्र छात्राओं हेतु योजना लागू की गयी है।

चयन होने पर स्कॉलरशिप के 50000/- रूपए नियमित अध्ययन के प्रत्येक वर्ष दिए जाते है।

दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 40 है।

परिवार की सकल आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

सभी योग्य आवेदकों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

AICTE स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना

AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) में किसी भी वर्ष में पढ़ रहे अनाथ छात्र छात्राओं अथवा जिनके माता /पिता का देहांत कोविड-19 की वजह से हुआ हो / शहीद माता /पिता की संतान हो , हेतु योजना लागू की गयी है।

चयन होने पर स्कॉलरशिप के 50000/- रूपए नियमित अध्ययन के प्रत्येक वर्ष दिए जाते है।

परिवार की सकल आय 8 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

सभी योग्य आवेदकों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।